न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 213/2017 **दायरा दिनांक : 06.12.2017**

उनवान

कजोड आयु 65 वर्ष, पुत्र मोतीलाल, जाति चमार, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 11/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अटरू तहसील अटरू में आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वादी के पिता मोत्या वल्द सुक्खा के खाते में दर्ज चली आ रही थी । भू प्रबन्ध का कार्य शुरू होने पर भू प्रबन्ध विभाग ने इसके नये खसरा नम्बर 950 रकबा 0.03 हेक्टर खसरा नम्बर 951 रकबा 0.47 हेक्टर कायम कर वादी की खातेदारी में दर्ज की है । पूर्व के रकबे के मुताबिक 0.21 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई है जिसको वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है । वादी का कब्जा 0.71 हेक्टर पर है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को 0.71 हेक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि सैटलमेंट विभाग ने वादी के खाते की आराजी कम दर्ज की है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । लोक अदालत में दावा वादी खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध है । वादी को साक्ष्य एवं गवाह पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है और पेश किये गये रेकार्ड का भी अवलोकन नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सैटलमेंट विभाग को वादी के खाते की आराजी को कम करने का कोई अधिकार नहीं है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । वादी को साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नहीं मिला है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी ने कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसका रकबा कम दर्ज कर किस के खाते में दर्ज किया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । इसमें दिनांक 15.06.2017 की तिथि नियत की गई है और इसको दिनांक 17.06.2017 को लोक अदालत में रखा है । लोक अदालत में वादी उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । प्रतिवादी द्वारा दावे को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है और तनकीयात भी कायम की

गई है जो पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 22 में सलंग्न है । दावे का निस्तारण लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे के करते हुए दावा खारिज किया गया है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि साक्ष्य वादी पूर्ण की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा